# न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

**पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना** I.A.S.

प्रकरण संख्या 74 / 2021 (प्रार्थना पत्र)
जीसीएमएस नं0 2021 / 289

जगदीशचन्द आत्मज श्री बद्रीलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम सालेडाकलां तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0

––प्रार्थी.

*बनाम*

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा –राज0
2. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियेजना कार्यान्वयन इकाई कोटा

**––––अप्रार्थीगण**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 3 जी 5 दी नेशनल हाईवे एक्ट एवं मध्यस्थ व सुलह अधिनियम 1996

उपस्थितः–

1. श्री विरेन्द्र कुमार राठौड़, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री विकास सोनी, सुश्री महेन्द्रा कुमारी वर्मा अप्रार्थी नं0 2

## *निर्णय*

दिनांक :– 27.06.2022

1. यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, एवं मध्यस्थ व सुलह अधिनियम 1996 के तहत सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट रामगंजमण्डी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 148–एन दिल्ली बडोदरा एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए अन्य अवाप्त भूमियों के साथ ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी स्थित प्रार्थी की भूमि ख0नं0 2150 रकबा 1.43 हे0 एवं खसरा नम्बर 2151 रकबा 0.67 हे0 आराजी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के निमार्ण हेतु भूमि अवाप्त की गई । सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के अवार्ड आदेश दिनांक 24.05.2021 की अप्रसन्नता में यह प्रार्थना पत्र दिनांक 15.09.2021 को प्रस्तुत किया है ।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की तलबी की गई । अप्रार्थी नं0 1 की ओर से एडवोकेट श्री विकास सोनी एवं एडवोकेट सुश्री महेन्द्रा कुमारी वर्मा का वकालतनामा पेश हुआ । वकील अप्रार्थी उपस्थित । अप्रार्थी नं0 2 द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया । वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी उपस्थित । उपस्थित वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।
3. वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम चेचट स्थित खसरा नम्बर 2150 रकबा 1.43 हे0 एवं खसरा नम्बर 2151 रकबा 0.67 हे0 पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.10.2018 से प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त में चली आ रही है । उक्त आराजी में खसरा नम्बर 2150 में 650 पौधे नारंगी के तथा खसरा नम्बर 2151 में लगभग 300 पौधे नारंगी के इस प्रकार कुल 950 पौधे स्थित है जिनकी आयु लगभग 4–5 वर्ष है । उक्त परियोजना एन.एच. 148एन के कि.मी. 346.5 कि.मी. से 452.426 कि.मी. तक के लिये भूमि अवाप्ति हेतु धारा 3(डी) नेशनल हाईवे एक्ट के अन्तर्गत अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 24.01.2019 को हुआ । अखबार में

जिला कलेक्टर
कोटा

दिनांक 8.2.2019 को प्रकाशित किया गया है । उक्त अधिसूचना क्रम सं0 113 व 114 पर खसरा नम्बर 2150 रकबा 1.43 हे0 में से 0.6964 हे0 तथा खसरा नम्बर 2151 रकबा 0.67 हे0 में से 0.3124 हे0 भूमि के अधिग्रहण हेतु सम्मिलित की गई । प्रार्थी ने उक्त अधिसूचना पर आपत्ति प्रस्तुत की गई तथा प्रार्थी की आराजी पर स्थित 950 नारंगी पौधों के बाबत भी आपत्तियां प्रस्तुत की गई, लेकिन प्रतिपक्षी ने प्रार्थी की उक्त आपत्ति को निस्तारित नहीं किया और ना ही मौका निरीक्षण किया, केवल प्रार्थी की आराजी का ही मुआवजा तय किया गया है । प्रार्थी आराजी पर स्थित 950 नारंगी पौधों की क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का भी अधिकारी है, क्योंकि उक्त पौधे फलदार पौधे है । जिनकी आयु वर्तमान में 4 से 5 वर्ष है तथा गिरदावरी में भी उनका इन्द्राज है, इसलिये प्रार्थी प्रति पौधे के हिसाब से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है । प्रार्थी को नारंगी वृक्षों फलदार वृक्षों का मुआवजा ना देने में त्रुटि की है जबकि प्रतिपक्षी ने दिनांक 24.5.2021 को ग्राम कंवरपुरा, सालेडाकलां, डाकिया, कमोलिया, रिचडिया आदि ग्रामों में पृथक पृथक फलदार वृक्षों का मुआवजा दिया गया है । प्रार्थी की उक्त आराजी पर 950 नारंगी के फलदार वृक्ष लगे हुये है, चूंकि प्रार्थी की आराजी के मध्य में से भूमि अधिग्रहण की गई है । प्रतिपक्षी के द्वारा फलदार वृक्ष नारंगी जिसकी आयु 4 वर्ष है प्रति पौधे 50,000/– के हिसाब से मुआवजा दिया है, प्रार्थी की अधिगृहित आराजी में से उक्त नारंगी के पौधों का कोई मुआवजा निर्धारित नहीं किया गया जबकि उपखण्ड अधिकारी ने मौका निरीक्षण किया गया और उक्त मौका निरीक्षण में प्रार्थी के फलदार वृक्ष होना ताईद किया गया । ऐसी स्थिति में प्रार्थी नारंगी पौधे जिसकी आयु 4 से 5 वर्ष है, उनके उत्पादन के आधार पर उपनिदेशक उद्यान विभाग से मूल्यांकन करवाकर भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुनःव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधनियम की धारा–30 के अनुसार अवाप्त निजी भूमि पर फलदार वृक्षों की मुआवजा राशि पर समान रूप से 100 प्रतिशत सोलेशियम आगणित के आधार पर मुआवजा राशि 5,00,00,000/– प्राप्त करने का अधिकारी है । इसके साथ ही प्रतिपक्षी के द्वारा उपरोक्त अधिग्रहित आराजी के पश्चात खसरा नम्बर 2151 का पुनः रकबा 0.0604 है0 भूमि अवाप्त की गई जस पर प्रतिपक्षी के द्वारा 1,84,700/– मुआवजा निर्धारित किया गया है, जबकि पूर्व में 0.6712 का मुआवजा 30,67,202/– रूपये एवं 0.3124 का मुआवजा 14,27,582/– रूपये निर्धारित किया गया था, प्रार्थी उक्त आराजी पर भी उक्त दर से ही मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है । प्रार्थी ने उक्त बाबत अप्रार्थी कम–1 के यहां आपत्ति प्रस्तुत की गई जिस पर अप्रार्थी क्रम–1 ने मौका निरीक्षण किया और फलदार वृक्ष होने के तथ्य को स्वीकार किया और यह भी स्वीकार किया कि उक्त पौधों का इन्द्राज गिरदावरी वर्ष 2017 में भी है । इस प्रकार उक्त पौधे अधिसूचना के पूर्व से ही स्थित है तथा प्रार्थी अतिक्रमी नहीं है, चूंकि अप्रार्थी क्रम–1 ने अवार्ड पारित कर दिया था, इस कारण उक्त पौधे के बाबत क्षतिपूर्ति अदा करने से इन्कार कर दिया । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर अप्रार्थी को आदेश दिया जावें कि प्रार्थी को उपरोक्त वर्णित आराजी में स्थित 950 नारंगी पौधों के क्षतिपूर्ति राशि 5,00,00,000/– एवं 0.0604 है0 का 1,15,000/– मय ब्याज के दिलवाये जाने के आदेश देने की कृपा करें । प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.2.2022 प्रार्थना पत्र के साथ इस न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 30.11.2021 दुर्गालाल बनाम सक्षम प्राधिकारी की प्रति पेश कर कमेटी की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर निर्णय हेतु निवेदन किया गया ।

4. वकील अप्रार्थी नं0 2 ने अपने जवाब एवं बहस में मुख्यरूप से कथन किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के अनुरक्षण , प्रबंध और प्रचारन के लोक प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ति के कृत्यों का पालन करने के लिए केन्द्रीय सरकार के सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की सूचना संख्या का.आ.2306(अ) दिनांक 6.6.2018 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 उपखण्ड अधिकारी

जिला कलेक्टर कोटा

रामगंजमण्डी को सक्षम प्राधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया । राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए दिनांक 24.01.2019 को जारी की गई जो भारत के राजपत्र में दिनांक 25.01.2019 को प्रकाशन किया । दिनांक 08.02.2019 को दौ दैनिक समाचार पत्रों दैनिक भास्कर व राजस्थान पत्रिका में दिनांक 19.06.2021 को किया गया । 3ए की नोटिफिकेशन के विरूद्व अन्तर्गत धारा 3 सी के तहत उस भूमि में हित रखने वाले कोई भी व्यक्ति द्वारा धारा 3ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर आपत्तियां सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त की गई थी । प्राप्त आपत्तियों का सक्षम अधिकारी द्वारा विधि के प्रावधानों के अनुसार निस्तारण किया गया । 3 सी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 3218 (अ) दिनांक 04.09.2019 को जारी की गयी, उक्त अधिसूचना का सार दौ दैनिक समाचार पत्रों दैनिक भास्कर व राजस्थान पत्रिका दोनों में दिनांक 21.09.2019 के अंकों में प्रकाशित किया गया । उक्त अधिसूचना के पश्चात समस्त अधिग्रहित भूमि जिसमें की भूमि ख0नं0 2150 रकबा 0.6964 हे0, एवं ख0नं0 2151 रकबा 0.3224 हे0 वाके ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा सम्मिलित है जो केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है । धारा 3–जी (3) के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि सक्षम प्राधिकारी मुआवजा निर्धारण करने से पूर्व सम्बन्धित खातेदार अथवा हितधारी व्यक्तियों को मुआवजा के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु एक सार्वजनिक नोटिस दौ समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा । उक्त प्रावधान के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक नोटिश का प्रकाशन कर सम्बन्धित खातेदार अथवा हितधारी व्यक्तियों को मुआवजा के सम्बन्ध में नोटिस के प्रकाशन से 14 दिवस के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया । प्रस्तुत प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो भी आपत्तियां उनके समक्ष प्रस्तुत की गई उनका निस्तारण करने के पश्चात मुआवजे के सम्बन्ध में अपना अवार्ड 30.10.2019 को पारित कर दिया गया । सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–29 की उपधारा–2 के अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित फलदार वृक्षों के बाजार मूल्य का अवधारण करने के लिए सुसंगत क्षैत्र में अर्जित भूमि पर स्थित फलदार वृक्षों का मूल्यांकन उपनिदेशक उद्यान विभाग से करवाकर रिपोर्ट पत्र कमांक एफ () उ.नि.उ./एनएचएआई/ 2020–21/ 66–67 दिनांक 15.4.2021 द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट अप्रार्थी संख्य 1 सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध करवायी गयी एवं भूमि अर्जन, पुर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 30 के अनुसार अवाप्त निजी भूमि पर स्थित फलदार वृक्षों की मुआवजा राशि पर समान रूप से 100 प्रतिशत तोषण आंगणित किये जाने की व्यवस्था दी गयी है, जिसके अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित फलदार वृक्षों की मुआवजा राशि निर्धारण पूरक अधिनिर्णय अवार्ड कमांक 355–357 दिनांक 24.5.2021 को किया गया है । परियोजना डी.पी.आर. कन्सलटेंट मैसर्स फीडबैक इन्फ्रा प्रा.लि. के पत्र दिनांक 14.01.2021 के द्वारा संशोधित फलदार वृक्षों की सूची प्रस्तुत की गयी एवं यह अवगत कराया कि ग्राम चेचट के खसरा नम्बर 2150 एवं 2151 में फलदार वृक्ष धारा 3–ए की अधिसूचना के प्रकाशन के बाद लगाये है । उक्त खसरों में लगाये गये बगीचे प्रार्थी द्वारा जानबूझकर गलत इरादों से मुआवजा लेने हेतु लगाये गये है । यदि प्रार्थी द्वारा लगाये गये बगीचों का मुआवजा दिया जाता है तो भारत सरकार को करोडों का नुकसान /हानि होगी । इस प्रकार उक्त ग्रामों में अवाप्त की गइ भूमि से संबंधित कुछ हितबद्व व्यक्तियों द्वारा धारा 3–ए गजट नोटिफिकेशन के प्रकाशन के पश्चात जान बूझकर गलत इरादे से मुआवजा लेने के लिए भूमि पर फलदार वृक्ष लगा दिये गये थे । जानबूझकर गलत ईरादे से मुआवजा प्राप्त करने हेतु लगाये गये

जिला कलेक्टर
कोटा

वृक्षों का कोई भी मुआवजा राशि प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी व बहस पर मनन किया, पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, के तहत प्रस्तुत कर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा प्रार्थी की भूमि ग्राम चेचट के ख0नं0 2150 रकबा 1.43 हे0, ख0नं0 2151 रकबा 0.670 हे0 अवाप्ति हेतु एवार्ड दिनांक दिनांक 24.05.2021 को पारित किया गया । वकील प्रार्थी द्वारा उक्त अवाप्त भूमि में फलदार वृक्ष नारंगी के 950 के मुआवजे की मांग की गई है । तथा खसरा गिरदावरी संवत 2075 पेश की गई है जिसमें खसरा नम्बर 2150 में 650 पोधे नारंगी के शिशु एवं खसरा नम्बर 2151 रकबा 0.67 हे0 में 300 पोधे नारंगी शिशु होना अंकित है । इसके विपरीत वकील अप्रार्थी नं0 2 ने जवाब एवं बहस अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ति हेतु अधिसूचना संख्या का.आ.2306 (अ) दिनांक 6.6.2018 से नियुक्त किया गया था । वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी संवत 2075 अर्थात फरवरी 2019 की है, जबकि 3ए की अधिसूचना दिनांक 6.6.2018 को जारी की गई, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रार्थी द्वारा अवाप्त भूमि में उक्त नारंगी के 950 पौधे 3a की अधिसूचना के बाद जानबूझकर मुआवजा प्राप्त करने की गरज से लगाए जाना प्रतीत होता है । इसी प्रकार परियोजना डी.पी.आर. कन्सलटेंट मैसर्स फीडबैक इन्फ्रा प्रा.लि. के पत्र दिनांक 14.01.2021 के द्वारा संशोधित फलदार वृक्षों की सूची प्रस्तुत की गयी एवं यह अवगत कराया कि ग्राम चेचट के खसरा नम्बर 2150 एवं 2151 में फलदार वृक्ष धारा 3–ए की अधिसूचना के प्रकाशन के बाद लगाये जाना अंकित किया गया है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से अस्वीकार योग्य है ।

6. उपरोक्त विवेचनानुसार यह स्पष्ट है कि ग्राम चेचट स्थित भूमि खसरा नम्बरान 2150 एवं 2151 में 950 नारंगी के फलदार पौधे प्रार्थी द्वारा केन्द्र सरकार की अधिसूचना 3–ए जिससे सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी को नियुक्त किया गया था, के बाद जानबूझकर अधिक मुआवजा प्राप्त करने की गरज से लगाये जाना साबित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है ।

7. निर्णय आज दिनांक 27.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा